राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.(29)लेखा/आयशि/जपु/2004-05/ 253 दिनांक 16.11.2004

कुल सचिव
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय
उदयपुर ।

विषय– गुरूनानक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उदयपुर को सत्र 2004-05 से स्नातक स्तर पर कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार गुरूनानक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उदयपुर को सत्र 2004–05 से स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों सहित, 1– इतिहास 2– राजनीति विज्ञान 3– भूगोल 4– अर्थशास्त्र 5–समाजशास्त्र 6– मनोविज्ञान 7– दर्शन शास्त्र 8– लोक प्रशासन 9– गृह विज्ञान 10– अंग्रेजी साहित्य 11– हिन्दी साहित्य 12– चित्रकला 13– संगीत 14– गायन एवं वाद्य 15– कम्प्यूटर एप्लीकेशन 16– संस्कृत, स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों सहित 1– भौतिक शास्त्र 2– रसायन शास्त्र 3– वनस्पति शास्त्र 4– जीव विज्ञान 5– गणित 6– कम्प्यूटर विज्ञान तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों सहित 1– ए.बी.एस.टी. 2– व्यवसायिक प्रशासन 3– ई.ए.एफ.एम एवं बी.बी.एम. , पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में 1– मनो विज्ञान 2– राजनीति विज्ञान 3– समाजशास्त्र 4– इतिहास 5– अंग्रेजी साहित्य एवं 6– हिन्दी साहित्य में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ जारी किया जाता है :–

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्त करना होगा ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्थो समय पर जारी राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करेगी ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय सहायता देय नही होगी ।
8. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को आहरित (withdraw) भी किया जा सकता है ।

भवदीय,
(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–1), विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, उदयपुर ।
8. सचिव, गुरू नानक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उदयपुर ।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली

SECRETARY
GURU NANAK GIRLS' P.G. COLLEGE
SECTOR-4

Secretary
Guru Nanak Public School Sabha
Udaipur (Raj.)

16.11.04
संयुक्त–निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।